न्यायालय श्री मान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

निगरानी प्रकरण क्रमांक /   /2016   R-3793-I-16

1.मोती ढ़ीमर तनय रतना आयु 65 वर्ष

2. नारायणदास तनय हरजू ना.वा.सं.

निज माता सल्लू पत्नि हरजू ढ़ीमर

3.हल्लू तनय लछुआ ढ़ीमर

4. गनेशा तनय लछुआ ढ़ीमर

5. चैना तनय दुर्जन ढ़ीमर

6. हीरा तनय दुर्जन ढ़ीमर

7. सरजुआ तनय बल्दुआ ढ़ीमर

8. सन्तोष तनय बल्दुआ ढ़ीमर

9. गौरेलाल तनय कुन्जी ढ़ीमर

10.लखन तनय कुन्जी ढ़ीमर

11. सुखलाल तनय कुन्जी ढ़ीमर

12. बालचन्द तनय कुन्जी ढ़ीमर

समस्त निवासी मातौल तह. खरगापुर

जिला टीकमगढ़ म.प्र.

27-10-16

...............**निगराकार्यगण**

बनाम

1. जगदीश तनय सूरा निवासी

   फुटेर चक्र–1 तह. खरगापुर जिला

   टीकमगढ़

2. शासन म.प्र. द्वारा कलेक्टर टीकमगढ़

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :—निगरानी—3793—एक / 2016 जिला—टीकमगढ़

मोती ढीमर आदि विरूद्ध जगदीश व म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
25—02—2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। 3. यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल खरगापुर, तहसील खरगापुर, जिला—टीकमगढ़ के प्र. क्र. 19 / अ—12 / 2015—16 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 26—06—2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 18—04—2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। (आर.के. जैन) 25/2/2019 सदस्य	